



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2550/2026

श्री चंद सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार तिवारी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह पुलिस विभाग में तैनात है; वह अपनी सुरक्षा आदि के उद्देश्यों के लिए सेना में दी गई सेवा को शामिल करने की मांग करता है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सबसे पहले प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।
4. इस दलील पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. विरोधी पक्षों की दलीलों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 5/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ, जिला मेरठ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है; प्रतिवादी संख्या 5 इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 5/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ, जिला मेरठ की यह राय है कि इस मामले पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना है, तो कागजात उसी प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।
6. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका पर प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही निर्णय लिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”